

25/7/19

आज श्रीमान् ए.सी.एम. / एस.डी.एम
साहब साहब / अन्तर्गत पर 15/07/19
पेशी इत्यादि की जाकर पत्रावली
तारीख 29/7/19 को पेश हो ।

29/7/19

पत्रावली पेश हुई । वकील शर्मा कानूनपरिचित ।
पत्रावली का आवक होने किता सादर अवलोकन
पाया गया कि वकील शर्मा द्वारा मूल डा. पत्र
अन्तर्गत चारा 212 RT Act की बंदीकरण
किए जाने हेतु निवेदन किया है। न्यायालय द्वारा
के पूर्व कोर्ट दिनांक 10/5/18 का अवलोकन करने
पर पता चला कि पूर्व में वकील शर्मा द्वारा डा. पत्र
अन्तर्गत चारा 212 RT Act का अर्थ Non Press
स्वार्थ कर पत्रा है किता। ऐसी स्थिति में शर्मा
का मूल डा. पत्र अन्तर्गत 212 RT. Act. बंदीकरण
किया जाता उचित नहीं है। शर्मा का हस्तक्षेप
डा. पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से स्वार्थ
किया जाता है किता केसल मुकार केसर तस्सर
से कर है। सविज्ञ दफ्तर है।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
2-9-5.